राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

सरकार बनाम राजेश वगै.

किस्मः– खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत ; एस.आर.नं. :– जी–2377; मुकदमा नम्बरः– 121/2023

06.06.2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 01 राजेश कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार, मैसर्सः– मनोज प्रोविजन स्टोर, मैन मार्केट, खेतड़ी व अप्रार्थी संख्या 02 ऋषिकेश जांगिड़ पुत्र श्री चिरंजी लाल जांगिड़ मैसर्स ऋषि मसाला उद्योग, भुदोली रोड़, नीम का थाना उभय पक्ष उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2023 को बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय 04:30 पी.एम. पर मैन मार्केट, खेतड़ी में निरीक्षण के लिए पहूँचे। निरीक्षण के दौरान मैसर्स मनोज प्रोविजन स्टोर, मैन मार्केट, खेतड़ी जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त मैसर्स पर विक्रेता उपस्थित था विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम राजेश कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार व स्वयं को दुकान का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान मैसर्स मनोज प्रोविजन स्टोर, मैन मार्केट, खेतड़ी जिला नीम का थाना में एक रैक में 15 पैकेट 500 ग्राम वनज में पैक धनीया पाउडर (ऋषि) आम जनता को विक्रय वास्तें रखे हुये थे जिसमें मिलावट कि शंका होने पर, इसमें से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच 4 मूल पौलीपैक 500 ग्राम वजनी धनीया पाउडर (ऋषि) का क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 320 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अवमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर जी–2377 खाद्य पदार्थ धनीया पाउडर (ऋषि) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अवमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ** पाया गया। **अवमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ** धनीया पाउडर (ऋषि) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 10,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 06.06.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीम का थाना

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना